इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2019—भाद्र 8, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 14 अगस्त 2019

क्र. 185.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2019 की अधिसूचना क्रमांक 02 एफ 1-04-209-28-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 05 की द्वारा शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 05 (1) के संबंध में कतिपय क्षेत्रोंको सम्मिलित या अपवर्जित करने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन हेतु मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जिला कलेक्टर को अधिकार प्रत्योजित किये गये हैं. अतः प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, नगर परिषद्, कैमोर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची-1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों (ग्रामों) को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है, तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला कटनी को प्रस्तुत कर सकता है:—

अनुसून्ची-1

क्र.	ग्राम का नाम पंचायत/पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर	पटवारी हल्का/ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्राम का नाम	शामिल किये जाने वाले पटवारी हल्का/ग्राम का नाम	तहसील	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार पटवारी हल्का/ग्राम की जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गुड़गड़ौंहा-13	गुड़गड़ौंहा	गुड़गड़ौंहा आंशिक	विजयराघवगढ़	56.125	4134

अनुसूची-2

नगर परिषद्, कैमोर की वर्तमान सीमा में निम्न उल्लेखित क्षेत्र सम्मिलित कर निम्नानुसार सीमावृद्धि एवं निर्धारण प्रस्तावित किया जाता है. जिसकी चर्तुसीमाएं निम्नानुसार हैं:—

निकाय का नाम (1)	उत्तरी में (2)	दक्षिणी में (3)	पूर्वी में (4)	पश्चिमी में (5)
नगर परिषद्, कैमोर	कैमोर पहाड़	ग्राम-गुड़गडौंहा ग्राम-खलवारा	ग्राम अमरैया	ग्राम-तिलक चौक ग्राम पंचायत, देवरी मझगवां

अनुसूची-3

नगर परिषद्, कैमोर की वर्तमान सीमा की चर्तुदिशाएं सीमावृद्धि के पश्चात् निम्नानुसार संशोधित होंगी:—

ग्राम का नाम (1)	उत्तर (2)	दक्षिण (3)	पूर्व (4)	पश्चिम (5)
गुड़गडौंहा	ए.सी.सी. मैगजीन तक	ग्राम-पंचायत, गुड़गडौंहा कार्यालय भवन तक.	नगरीय क्षेत्र सीमा श्री मोहन रिछारिया के मकान तक.	रपटा नाला तक

शशि भूषण सिंह, कलेक्टर.

Katni, the 14th August 2019

No. 185.—Madhya Pradesh Government, department of urban, development and housing, ministry of information notification No.F-1-04-2019-28-3 Section 5 of the municipal Act 1961 using the powers of the act for the initial publication involving or excluding certain areas in relation to 5 (1), rights have been delgated by the Governer of Madhya Pradesh to the District Collector. Therefore, using the powers given the Nagar Parishad Kymore Express the intention to include the local area (village) shown in the following schedule 1 within the limits of Kymore Nagar Parishad.

In the local authority possessing the jurisdiction over the areas shown in the schedule or any person residing there in has objection in relation to any matter contained there in, than the objection, suggestion shall be submitted to the office of collector Katni within 30 days from the date of publication of this information in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE-1

S. No. (1)	Name of Village/ Panchayat/Patwari Halka No. (2)	Patwari Halka Name of Village included in Gram Panchayat (3)	Name of Patwari Halka Village included (4)	Tahsil (5)	Village area (in Hectare) (6)	Population of Village as per census 2011 (7)
1	Guda gadhouha	Guda gadhouha	Guda gadhouha	Vijayraghavgarh	56.125	4134

SCHEDULE-2

In the Current Limits of Nagar Parishad Kymore, the following areas are included as follows the extent of which is as follows:—

Village Name (1)	North (2)	South (3)	East (4)	West (5)
Guda gadhouha	Acc Magzine	Panchayat Office of Guda gadhouha	Mohan Rachariya House Urban Area	Rapta Nala

SCHEDULE-3

The Nagar Parishad Kymore, After the increase of the fourth dierection of the current boundary, will be modified as follows:—

ULB Name (1)	In the North (2)	In the South (3)	In the East (4)	West (5)
Nagar Parishad Kymore	Kymore Hill	Village Guda gadhouha	Village Amaraiya	Office of the gram panchayat devri majhaganwa

SHASHI BHUSHAN SINGH, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्रमांक 288-सीमावृद्धि-2019.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नगर परिषद् ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश की सीमा अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है अनुसूची एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगर परिषद् ईसागढ़ की सीमा में शामिल हो जाने पर नगर परिषद् ईसागढ़ की चतुर्थ सीमा अनुसूची-दो के अनुसार हो जायेगी.

अनुसूची-1 के परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात से आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश को प्रस्तुत कर सकेगा प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची-एक

नगर परिषद् क्षेत्र ईसागढ़ की सीमाओं में सम्मिलित किये गये ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा—

क्र. (1)	तहसील (2)	ग्राम पंचायत का नाम (3)	सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम का नाम (4)	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे नंबर (5)	कुल सर्वे नं. (6)	क्षेत्रफल (हे. में.) (7)	क्षेत्रफल का विवरण (8)	अन्य विवरण (9)
1	ईसागढ़	आकलोन	वहेरिया उर्फ रूपनगर.	01 लगायत 500 तक	500	443	सम्पूर्ण ग्राम	—
2	ईसागढ़	डेंगा मोहचार	डेंगा मोहचार	01 लगायत 515 तक	515	1099	सम्पूर्ण ग्राम	—
3	ईसागढ़	डेंगा मोहचार	पिपरोदा	01 लगायत 162 तक	162	109	सम्पूर्ण ग्राम	—

अनुसूची-दो

उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् ईसागढ़ नगर परिषद् की चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार होंगी:—

उत्तर दिशा—जीवन ज्योति स्कूल से छोटी मोहचार तक आखरी सीमा.

पूर्व दिशा—राजा डेहर की आखरी सीमा तक.

दक्षिण दिशा—राठौर वेयर हाउस सुखपुर हॉस्पिटल से लेकर हाउसिंग बोर्ड कालोनी तक आखरी सीमा.

पश्चिम दिशा—प्यासी चक्क से लेकर वहेरिया उर्फ रूपनगर चक्क की आखरी सीमा तक.

मंजू शर्मा, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.